इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 16, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. 27149-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ५० का संशोधन.
३. धारा १५८ का संशोधन.
४. धारा १६२ का संशोधन.
५. धारा १६५ का संशोधन.
६. धारा १६६ का संशोधन.
७. धारा १७२ का संशोधन.
८. धारा २४७ का संशोधन.
९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा ५० का संशोधन. २. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनको कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,—

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

तो, यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन, किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अन्तिम रूप से निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त बना रहता है, तो न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.";

(दो) उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द "या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" स्थापित किए जाएं; तथा

(तीन) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(तीन) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल, यथास्थिति, आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, यथास्थिति, कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा अथवा ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.".

धारा १५८ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) में,—

(एक) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु कोई ऐसा व्यक्ति पट्टे अथवा आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और 'अहस्तांतरणीय भूमि' के रूप में इस आशय की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में की जाएगी.";

(दो) इस प्रकार स्थापित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'अहस्तांतरणीय भूमि' से अभिप्रेत है धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में धारित भूमि.".

धारा १६२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा.".

धारा १६५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १६५ में,—

उपधारा (७-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(७-ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता हो, आवंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात्, ऐसी भूमि को अंतरित करने की वांछा करता है, तो उपखण्ड अधिकारी को अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में "अहस्तांतरणीय" के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, आवेदक को ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान सरकारी कोषालय में करने का निदेश देगा और ऐसा भुगतान कर दिए जाने के पश्चात्, उपखण्ड अधिकारी ऐसी प्रविष्टि को हटाने के लिए आदेश पारित करेगा.

(७-ग) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता है, आवंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात् ऐसी भूमि कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित कर दी गई है और ऐसी भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारंभ होने की तारीख तक समपहृत नहीं की गई है, या समपहृत की गई है किन्तु उपयोग नहीं की गई है या किसी को आवंटित भी नहीं की गई है तो ऐसी भूमि, शासकीय कोषालय को भुगतान किए जाने की तारीख तक—

(क) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ या उसके पूर्व का है तो वित्तीय वर्ष २०००-२००१ के बाजार मूल्य की दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर १ अप्रैल, २००० से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज; अथवा

(ख) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ के पश्चात् किया गया है तो अंतरण की तारीख को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर ऐसे अंतरण की तारीख से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के, भुगतान के दायित्वाधीन होगी.

स्पष्टीकरण.—यदि धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन किसी भूमिस्वामी की कोई भूमि अंतरित की जाती है और जिस पर उपधारा (७-ख) और (७-ग) के अधीन अपेक्षित भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि किसी पश्चात्वर्ती अंतरण के लिए ऐसा भुगतान पुनः करने के दायित्वाधीन नहीं होगी.".

धारा १६६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६६ में, उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा (२)" का लोप किया जाए.

धारा १७२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७२ में,—

(एक) उपधारा (४) में, शब्द "ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक" के स्थान पर "ऐसी व्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, शब्द "ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "ऐसी अव्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक" स्थापित किए जाएं.

८. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (४) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)'' स्थापित किए जाएं. **धारा २४७ का संशोधन.**

९. (१) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित थे, जो निम्नानुसार हैं :—

(१) यह अनुभव किया गया है कि आयुक्त और बन्दोबस्त आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति दी जाए जिससे कि वे किसी ऐसे मामले का, जिसका कि विनिश्चय हो चुका है या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिससे उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है अभिलेख मंगा सकें. अतएव, यह प्रस्तावित है कि संहिता की धारा ५० को संशोधित किया जाए.

(२) संहिता की धारा १५८ की उपधारा (३) और धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए, धारा १५८ की उपधारा (३) के परन्तुक में संशोधन प्रस्तावित है. यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों के साथ भूमि धारण करता है, अपने अधिकारों को अंतरित करता है, तो अंतरिती सरकार को भी कुछ राशि के भुगतान का दायी होगा, क्योंकि ऐसी भूमि प्रीमियम के रूप में कोई राशि प्रभारित किए बिना आवंटित की गई थी और राज्य सरकार को इन संव्यवहारों के बदले में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है. धारा १५८ की उपधारा (३) के परंतुक के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में और स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण के साथ धारा १६५ में संशोधन प्रस्तावित है.

(३) धारा १६२ के उपबंधों के विस्तार को, जो कृषिक प्रयोजन या आवासीय प्रयोजन तक सीमित है, यथोचित संशोधन द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है. अतएव धारा १६२ का संशोधन प्रस्तावित है.

(४) यह भी अनुभव किया गया है कि जुर्माने के अधिरोपण से संबंधित संहिता की धारा १७२ की उपधारा (४) और उपधारा (५) के उपबंध अवपीड़क और अनुकरणीय प्रतीत होते हैं. जिससे कि इन उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के उपबंधों को सीमित किया जा सके. जुर्माने के युक्तियुक्त अधिरोपण के लिए धारा १७२ में संशोधन प्रस्तावित है.

(५) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १) को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाने के कारण धारा २४७ में संशोधन प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश की विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर बिना किसी उपान्तरण के राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २ दिसम्बर, २०१५.

रामपाल सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के निम्नांकित खण्डों द्वारा--

खण्ड २ (एक)(१)(ग)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने;

(तीन)(६)(तीन)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर जहां कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की गई हों तो मण्डल यथास्थिति ऐसी कार्यवाहियों को विरत रखने अथवा वापस लेने;

(चार)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर जहां कार्यवाहियां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त यथास्थिति ऐसी कार्यवाहियों को विरत रखने अथवा वापस लेने; तथा

खण्ड ४ (१) राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि सुनिश्चित किये जाने;

संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरुप की होंगी.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ की कतिपय धाराओं यथा धारा ५०, १५८, १६२, १६५, १७२ एवं २४७ में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था. चूकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था और विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों को आवश्यक रूप से लागू किया जाना था.

अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ५०, १५८, १६२, १६५, १७२ एवं २४७ में संशोधन के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) प्रख्यापित किया गया.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2015.